24,767 पदों पर भर्ती की विड्रो होगी विज्ञप्ति

सरकार 2012 के नियमों पर नए सिरे से करेगी सफाईकर्मियों की भर्ती

पुरानी भर्ती में आवेदन शुल्क देने वालों को मिलेगी छूट, जल्द नियमों का प्रारूप जारी होगा

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। पिछली कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती विवादों में हैं। अब यह भर्ती 2012 में तय किए गए भर्ती नियमों के आधार पर होगी, जिसमें योग्यता सफाई का संपूर्ण अनुभव रखने की थी। वर्तमान में 24,767 पदों पर भर्ती के लिए जारी की गई विज्ञप्ति को राज्य सरकार विड्रो करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद नए नियमों के साथ नए सिरे से विज्ञप्ति जारी की जाएगी।

9.20 लाख ने किया था आवेदन

प्रदेश में 24,767 सफाई कर्मियों के रिक्त पदों के लिए पूर्व सरकार के समय भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई। यह विज्ञप्ति दो चरणों में हुई। दूसरे चरण में कुछ पदों को जोड़ते हुए सभी पद एकजाहिर किए गए। इन पदों के लिए नौ लाख 20 हजार 442 लोगों ने आवेदन किया। इसी बीच नियुक्ति के निर्धारित नियमों के विरुद्ध न्यायालय तक मामला पहुंचा।

निर्धारित योग्यता वाले आवेदन भी स्वीकार

इन पदों पर भर्ती के लिए एक मार्च 2024 को विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके लिए आवेदन के साथ शुल्क भी वसूला गया, ऐसे में अब नई विज्ञप्ति जारी होने के बाद जिन आवेदकों ने शुल्क जमा करवाया हैं, उन्हें छूट मिलेगी। साथ ही निर्धारित योग्यता वाले आवेदन भी स्वीकार किए जा सकेंगे।

दो साल तक अस्थायी नियुक्ति

निकायों में भर्ती होने वाले सफाईकर्मियों को दो साल तक अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी। इस दौरान उसकी कार्य की रिपोर्ट तैयार होगी। अगर रिपोर्ट में उसकी संतोषप्रद सेवा रही तो उसे दो साल बाद स्थायी किया जा सकेगा, अन्यथा हटा दिया जाएगा।

14 साल पहले इन नियमों पर हुई भर्ती

दरअसल, सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए 2012 में नियम बनाए गए थे, जिसमें 2 साल के अनुभव की योग्यता रखी गई थी। इसके बाद 11 अप्रैल 2018 को फिर संशोधन किया गया और 2 साल के अनुभव के स्थान पर 1 वर्ष का अनुभव रखा गया। इसके साथ ही 2 बच्चों का प्रावधान भी जोड़ा गया। वहीं नियमों में परिवर्तन कर भर्ती में निजी संस्थान और व्यक्तिगत अनुभव प्रमाण पत्र को भी मान्यता दी गई, मूल नियमों में परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए भर्ती का प्रावधान रखा गया था, इसके बाद साल जनवरी 2023 में लॉटरी के माध्यम से भर्ती और जून माह में प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान भी जोड़ा गया।

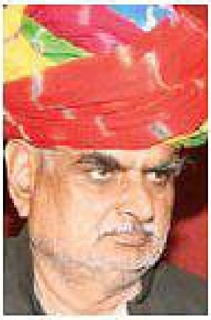

मौजूदा सफाई भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह की शिकायतें मिल रही हैं, ऐसे में 2012 के नियमों के आधार पर नए सिरे से भर्ती की जाएगी। दो साल तक सफाईकर्मियों को अस्थायी रखा जाएगा, संतोषप्रद सर्विस होने पर स्थायी हो सकेंगे।

-झाबर सिंह खर्रा, यूडीएच एवं स्वायत्त शासन मंत्री

Direct Apply Click Here